

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग 2-
संख्या-520/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-283-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-
(347)-2025

लखनऊ: दिनांक: 28-03-2025

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-511/ग्यारह-2-23-9(42)-17-टी0सी0 66-उ0प्र0जी0एस0टी0
नियम-2017-आदेश(274)-2023 दिनांक 24.04.2023 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश माल और
सेवा कर (साठवां संशोधन) नियमावली, 2023 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के
नियम 1 के उपनियम (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
(अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके,
राज्यपाल दिनांक 14 मार्च, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस पर उक्त
नियमावली के नियम 2 के उपबंधों को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

आज्ञा से,

Signed by

M Devaraj (एम0 देवराज)

प्रमुख सचिव।
Date: 28-03-2025 19:14:05